रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257617
CG-DL-E-01102024-257617

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946
No. 274] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली , 30 सितंबर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) - 32/2024

विषय: कुवैत राज्य, सऊदी अरब किंगडम और सिंगापुर गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''मोनो एथिलीन ग्लाइकोल'' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/34/2024-डीजीटीआर – दि केमिकल्स एंड पैट्रो-कैमिकल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे यहां ''सीपीएमए'' कहा गया है) (जिसे यहां आगे '''आवेदक एसोसिएशन'' भी कहा गया है) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा

क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे ''नियमावली, 1995'' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें कुवैत राज्य, सऊदी अरब किंगडम और सिंगापुर गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''मोनो एथिलीन ग्लाइकोल'' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि ऊपर उल्लिखित देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''मोनो एथिलीन ग्लाइकोल'' के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है और उल्लेखनीय क्षति का खतरा है। तद्नुसार, आवेदकों ने ऊपर उल्लिखित देशों से ''मोनो एथिलीन ग्लाइकोल'' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे ''पीयूसी'' भी कहा गया है) मोनो एथिलीन ग्लाइकोल है (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' भी कहा गया है) है। एम ई जी एक स्पष्ट, रंगहीन, गंधहीन, सिरप जैसी स्थिरता वाला थोड़ा चिपचिपा तरल पदार्थ है। यह स्वाद में मीठा है और जल में मिश्रण कर सकने योग्य है। यह एकाधिक अनुप्रयोगों के साथ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पालिएस्टर फोबर्स और पॉली-इथाइलीन टेरेफ्थेलेट रेजिन के निर्माण के लिए प्यूरिफाइड टेरेफथेलिक एसिड के संयोजन में किया जाता है। इसका उपयोग एंटी फ्रीज/कुलेंट के साथ-साथ फार्मास्युटिकल और कॉस्मेटिक उद्योगों में भी किया जाता है।

4. एम ई जी के मुख्यत: दो ग्रेड होते हैं – फाइबर और नॉन फाइबर। आवेदक ने अनुरोध किया है कि एम ई जी मुख्यत: दो ग्रेडों का होता है : फाइबर ग्रेड और नॉन-फाइबर ग्रेड। आवेदक कंपनी एम ई जी के दोनों ग्रेडों का विनिर्माण करती है। वर्तमान जांच में पीयूसी के दोनों ग्रेड शामिल हैं।

5. संबद्ध वस्तुओं को एच एस कोड 2905 31 00 के तहत ''आर्गेनिक रसायनों'' शीर्षक के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार इस जांच की शुरूआत के 15 दिनों के भीतर पी यू सी और प्रस्तावित पी सी एन के कार्यक्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, उपलब्ध करा सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों स्रोतों से प्राप्त संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और प्रयोगों, तथा वितरण और विपणन के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान

पर प्रयोग करते हैं और कर रहे हैं । इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं को एक दूसरे के ''समान वस्तु'' माना जा रहा है ।

ग. घरेलू उद्योग और इसकी स्थिति

8. वर्तमान आवेदन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सी पी एम ए द्वारा दायर किया गया है । आवेदन का इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड द्वारा भी समर्थन किया गया है । इन दोनों उत्पादकों के अलावा,एक अन्य उत्पादक भी है अर्थात इंडिया ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड । रिलायंस इंडस्ट्रीज ए.डी. नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के संदर्भ में ''प्रमुख समानुपात'' स्थापित करता है ।

9. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पी ओ आई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है । यह नोट किया जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों की मात्रा कुल मांग के 1 प्रतिशत से भी कम है और इसके उत्पादन का लगभग 1 प्रतिशत है ।

10. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, और *संघ सरकार बनाम मैसर्स सेंचुरी प्लाईवुड*[1] के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि ए डी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के संदर्भ में आवेदक घरेलू उद्योग है । इसके अतिरिक्त, आवेदन ए.डी. नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति की अनिवार्यता को भी पूरा करता है ।

घ. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश कुवैत राज्य (जिसे आगे ''कुवैत'' कहा गया है), सऊदी अरब किंगडम (जिसे आगे ''सऊदी अरब'' कहा गया है) और सिंगापुर गणराज्य (जिसे आगे ''सिंगापुर'' कहा गया है) हैं ।

[1] (2022 एस सी सी ऑन लाइन जी ए यू 643)

ङ. जांच की अवधि (पीओआई)

12. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 (12 महीने) है। जांच के लिए क्षति अवधि में वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. पाटन का आधार

i) सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने अपने आवेदन में कहा है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों से संबंधित जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। कुवैत और सऊदी अरब के मामले में, आवेदक ने विशिष्ट बाजार स्थिति की विद्यमानता का आरोप लगाया है। यह दावा किया गया है कि प्राकृतिक गैस की अभिभावी विकृत कीमतों के कारण, जिन्हें ऊपर उल्लिखित संबद्ध देशों में सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कच्चे माल के साथ ही उपयोगिता की कीमतें एक विशिष्ट बाजार स्थिति द्वारा प्रभावित होती है। दूसरे, आवेदक ने यह भी कहा है कि संबद्ध देशों में उत्पादक अपने संबंधित पक्षकारों से इनपुट की अधिप्राप्ति कर रहे हैं। इन कारणों के आधार पर, आवदेक ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि कच्चे माल की लागतें संभवत: कुवैत और सऊदी अरब में उत्पादकों के रिकॉर्डों में उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं की हैं। इसके अलावा आवेदक ने यह भी दावा किया है कि विषयगत देशों से तीसरे देशों को निर्यात कीमतें, विषयगत देशों में स्थित उत्पादकों द्वारा आक्रामक निर्यात बाजार लक्ष्यीकरण के कारण, डंप कीमतें होने की संभावना है।

14. चूंकि ऊपर उल्लिखित पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता, आवेदक ने ए डी नियमावली, 1995 की धारा 9(क) के स्पष्टीकरण (ii)(ख) के संदर्भ में अर्थात संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, उत्पादन की लागत को प्रमुख कच्चे माल और घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर अन्य लागत अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

(ii) निर्यात कीमत

15. आवेदक ने बाजार आसूचना के आधार पर सी आई एफ निर्यात कीमत का दावा किया है। प्राधिकारी ने डीजीसीआई&एस आंकड़ों के आधार पर आयात कीमत पर विचार किया है। कारखानागत निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए मालभाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्ययों और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन किए गए थे।

(iii) **पाटन मार्जिन**

16. सामान्य मूल्य और कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत की तुलना किए जाने पर, यह प्रथमदृष्टया नोट किया गया है कि भारित औसत पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर पर अधिक और महत्वपूर्ण है । इस बात के प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजारों में पाटित किया जा रहा है ।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

17. पी ओ आई के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में कुल रूप में, साथ ही सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है । मांग में वृद्धि के बावजूद, आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है । संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है । इसके अलावा, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी/ह्रास किया है । घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर लाभों/आय में गिरावट आई है । आवेदक ने निष्क्रिय और अतिरिक्त क्षमताओं, खपत और संबद्ध देशों से उत्पादों के निर्यात प्रचालन के संबंध में भी सूचना उपलब्ध कराई है । इस प्रकार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का क्षति के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण मौजूद हैं और घरेलू उद्योग को और भारी क्षति पहुंचने का खतरा है ।

18. तथापि, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने के लिए प्राधिकारी आवेदक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मांग सकते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

19. घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और ए.डी. नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

20. ए.डी. नियमावली, 1995 के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. **सूचना प्रस्तुत करना**

21. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना तथा आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की सरकारी वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. **समय सीमा**

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने अथवा घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के अगोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा उसे परिचालित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड तथा एडी नियमावली, 1995 में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में तत्काल अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

29. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अगोपनीय पाठ के साथ, अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश की उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

32. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से गोपनीय है और/या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे स्वभाव से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण कथन प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

34. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए एडी नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार

नोटिस के अनुसार पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

35. इच्छुक पक्ष आवेदन के अगोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

36. गोपनीयता के दावे पर अर्थपूर्ण अगोपनीय संस्करण के बिना या प्राधिकृत व्यापारी नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के अनुसार पर्याप्त और समुचित कारण कथन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल कर दें।

ढ. <u>असहयोग</u>

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

New Delhi, the 30 th September, 2024

<u>INITIATION NOTIFICATION</u>
Case No. AD (OI) 32/2024

Subject: Initiation of Anti-dumping Investigation Concerning Imports of "Mono ethylene Glycol" originating in or exported from the State of Kuwait, the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Singapore

F. No. 6/34/2024-DGTR- Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also

referred to as the "AD Rules, 1995"), the Chemicals and Petrochemicals Association of India (hereinafter referred to as "CPMA" (hereinafter referred to as the "Applicant Association"), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") on behalf of Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as "applicant company") seeking initiation of Anti-dumping Investigation Concerning Imports of "Mono ethylene Glycol" (hereinafter also referred to as "MEG"), originating in or exported from the State of Kuwait, the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Singapore.

2. **The applicant has alleged that MEG originating in or exported from the aforementioned countries has caused material injury to the domestic industry and that there is further threat of material injury. Accordingly, the applicant has requested the imposition of anti-dumping duties on the imports of MEG from the aforementioned countries.**

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration (hereinafter referred to as "PUC") in the present investigation is MEG (hereinafter also referred to as "subject goods"). MEG is a clear, colourless, odourless, slightly viscous liquid with syrup like consistency. It is sweet in taste and miscible in water. It is an important industrial product with multiple application. It is primarily used in combination with purified terephthalic acid for manufacturing for manufacturing polyester fibres and polyethylene terephthalate resins. It is also used an anti-freeze/coolant as well as in pharmaceuticals and cosmetic industries.

4. MEG is primarily of two grades – fibre and non-fibre. The applicant company manufactures both grades of MEG. The present investigation covers both grades of the PUC.

5. The subject goods are classified under Chapter 29 titled "Organic Chemicals" under HS Code 2905 31 00. The customs heading is indicative only and is not binding upon the scope of the investigation.

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of the initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

7. The applicant has claimed that there are no known differences in the subject goods manufactured by the applicant company and the subject goods imported from the subject countries. The subject goods from the two sources are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, and distribution and marketing. The two goods are technically and commercially substitutable. Consumers have used and are using the goods interchangeably. Thus, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant company and the subject goods imported from the subject countries are being treated as 'like article' to each other.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

8. The present application has been filed by CPMA, on behalf of Reliance Industries Limited. The application has also been supported by Indian Glycol Limited. Apart from the two producers, there is one another producer, India Oil Corporation Limited. Reliance Industries Limited constitutes 'major proportion' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.

9. Reliance Industries Limited has imported the subject goods from the subject countries during the POI. It is noted that the volume of imports made by Reliance Industries Limited is less than 1 percent of the total demand and around 1% of its production.

10. On the basis of the information available on record, and in view of the decision of the Hon'ble High Court of Gauhati in *Union of India v. M/s Century Plywood*[2], the Authority has satisfied itself that the applicant domestic producer constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. Further, the application also satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules, 1995.

D. SUBJECT COUNTRIES

11. The subject countries in the present investigation are the State of Kuwait (hereinafter referred to as "Kuwait"), the Kingdom of Saudi Arabia (hereinafter referred to as "Saudi Arabia") and the Republic of Singapore (hereinafter referred to as "Singapore").

E. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

12. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The injury period for the investigation will cover the periods FY 2020–21, FY 2021-22, FY 2022-2023 and the period of investigation.

F. BASIS OF DUMPING

i. Normal value

13. The applicant has stated in its application that information regarding prices of the subject goods in the subject countries is not available in the public domain. In case of Kuwait and Saudi Arabia, the applicant has alleged the existence of particular market situation. It has claimed that on account of prevailing distorted prices of natural gas and raw materials which is regulated by the government in the aforementioned subject countries, the price of raw materials as well as utilities is affected by a particular market situation. Secondly, the applicant has also stated that producers in the subject countries are procuring inputs from their related parties. Based on these reasons, the applicant has asserted that costs of raw materials may not be reasonably reflected in the records of producers in Kuwait and Saudi

[2] (2022 SCC OnLine Gau 643)

Arabia. Further, the applicant has also claimed that export prices from the subject countries to third countries are likely to be dumped prices on account of aggressive export market targeting by producers based in the subject countries.

14. The applicant has stated that as the normal value cannot be determined on the basis of methods mentioned above, the applicant has proposed to construct the normal value in terms of Explanation (ii) (b) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 i.e., on the basis of cost of production of the subject goods considering the international price of major raw material (ethylene) and remaining cost estimates based on the domestic industry's data. However, evidence pertaining to the international prices of major raw material could not be verified at this stage. Accordingly, the normal value has been constructed based on the best estimates of the cost of production of domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

ii. Export Price

15. The applicant has claimed CIF export price based on market intelligence. However, the Authority has considered import price based on DGCI&S data. Adjustments on account of freight, insurance, commission, port expenses and bank charges were made to arrive at ex-factory export price.

iii. Dumping margin

16. Upon comparison of normal value and the export price at ex-factory level it is *prima facie* noted that the dumping margin for each of the subject countries is above *de minimis* level and significant. There is *prima facie evidence* that the product under consideration is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. Injury and Causal link

17. The volume of imports from the subject countries have increased in absolute as well as relative terms in the POI. The market share of the domestic industry has declined in the POI compared to the base year despite an increase in demand. Price undercutting from the subject countries is positive. Further, subject goods from the subject countries have depressed/suppressed the prices of the domestic industry. There has been a decline in profits and return on capital employed of the domestic industry. The applicant has also provided information concerning idle and surplus capacities, consumption and export orientation of producers from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence regarding injury to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries and there is threat of further material injury to the domestic industry.

18. However, in order to examine the threat of material injury to the domestic industry, the Authority may seek post POI data from the applicant domestic industry and the other interested parties for examination.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

~~19.~~ On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant, and having reached satisfaction based on *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry and causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an antidumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of the anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

20. The provisions of Rules 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

22. The known producers/exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

23. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

25. Interested parties are further directed to keep regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email address jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

30. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/ or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by the nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/ information might lead to consideration of an interested parry as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.01 15:43:26 +05'30'